

2018/00075

मंजूरता बनाम उमिद कुतब

किस्म मुकदमा :- 188 R.T.A.

प्रकरण संख्या 7 / सन् :- 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.5.18	<p>अधिवक्ता वादी ने उक्त वादपत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियकें नोटिस तलब किया जावे। पुत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 28.5.18 को पेश हो।</p> <p>श्राव आपक द्वारा अभियान - 2018 लोक अदालत</p>	
28.5.18	<p>पुत्रावली के माध्यम से निम्नान्त में पेशावादी वादी को 2 तलब उपस्थित। वादीगण ने उक्त वाद पत्र को निवेदन किया कि जज यादवन व अफगुन की वादपत्र आदेशों पर वादीगण व प्रतिवादी का प्रतिकारण पर हिसाब निश्चित है आवासी प्रस्ताव देना वादीगण सहमत है वादी व प्रतिवादी के बीच पहली सलंगन के माध्यम से प्रकरण समाप्त हो चुका है किन्तु प्रतिवादी तलब 1 अर्पण दिनांक से</p>	<p>विनोद कुमार कुंज</p>

